HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12739/2026
CNR: RJHC020782572026 | URN: CRLMB / 23446U / 2026

Aakib S/o Islam Khan, Aged About 28 Years, R/o Gailpur, Thana Tapukada, District Khairthal-Tijara (Raj.).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vineet Dixit Mr. Surendra Sharma
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

14/09/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना टपूकड़ा, जिला–भिवाड़ी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 219/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनका तर्क है कि जिस व्यक्ति द्वारा परिवादी को सूचना देना बताया गया है, वह प्रार्थी का चाचा असगर है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के घर के आसपास पम्प पड़ा होने से वह उसे उठाकर ले आया। पुलिस ने भी प्रार्थी को अभियुक्त नहीं माना है, परन्तु फिर भी उसे गिरफ्तार करने पर आमादा है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रार्थी अन्वेषण में भाग लेकर सहयोग करने के लिए तत्पर है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी पर आक्षेप है कि उसने परिवादी के खेत से 3 फेज मोटर के तार, मोटर की डोरी व पम्प चोरी किया

है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है तथा उसके आधिपत्य से प्रकरण में चोरी गया पम्प बरामद भी किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी को धारा 179 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नोटिस दिया गया है, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ है तथा फरार चल रहा है। प्रार्थी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित हैं। प्रार्थी से गहन अन्वेषण किया जाकर चोरी गये शेष सामानों की बरामदगी की जानी है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त का प्रार्थनापत्र निरस्त किया जावे।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का अभियोग है। प्रार्थी पर परिवादी के खेत से मोटर पम्प, मोटर के तार आदि चोरी करने का आक्षेप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम अंकित है तथा प्रार्थी से प्रकरण में चोरी गया सबमर्सिबल पम्प बरामद भी किया गया है। स्वयं प्रार्थी ने भी अपने आधिपत्य से मोटर पम्प बरामद होना माना है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रकरण में अभी प्रार्थी–अभियुक्त से गहन अन्वेषण किया जाकर चोरी गये शेष सामान की बरामदगी की जानी है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

62/VISHAL SHARMA